

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-2/नि0-1-101/2025 -148

पटना, दिनांक- 5/5/25

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय आदेश सं0-2/नि0-1-101/2025-104 दिनांक-25.03.2025 द्वारा नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख स्तंभ-8 में अंकित कार्यालय/विभाग में अगले आदेश तक निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :-

क्र0 सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जिला	पिता का नाम एवं स्थायी पता	पंजीयन सं0	आयोग द्वारा अनुशंसित समेकित क्र0सं0	जन्म तिथि	चयनित कोटि/कोटि	पदस्थापन स्थल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मुकेश कुमार/नालन्दा	श्री रामानन्द प्रसाद, ग्राम-पूना (झरी विगहा), डाकघर-पूना, थाना-हिलसा, जिला-नालन्दा, राज्य-बिहार, पिन-801301	BR00150010002637	1074	12-05-1987	BC/BC	लो0स्वा0या0प्र0-मुजफ्फरपुर प्रशाखा-लालगंज

- प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
- नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) का वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापित कार्यालयों में योगदान की तिथि से भुगतेय होगा।
- पदस्थापित कार्यालय में योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
- पदस्थापन आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिनों के अन्दर पदस्थापित कार्यालयों में योगदान देना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति रद्द करने पर विचार किया जा सकता है।
- वैसे नवनियुक्त कनीय अभियंता, जो वर्तमान में भारत सरकार/राज्य सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान करते समय पूर्व पदस्थापित कार्यालय से विरगित आदेश/अनापत्ति प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का आयोग से प्राप्त अनुशंसा में तथा उनसे प्राप्त प्रमाण-पत्रों आदि में त्रुटि/फर्जी/गड़बड़ी भविष्य में पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
- प्रथम वेतन-विपत्र के साथ नियुक्ति-पत्र की अभिप्रमाणित फोटोप्रति कोषागार में भेजी जायेगी, जिससे नियुक्ति पदाधिकारी के हस्ताक्षर का मिलान कोषागार पदाधिकारी पूर्व से कोषागार में उपलब्ध कराये गये नियुक्ति-पत्र से कर लेंगे।

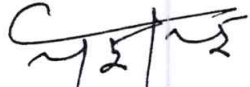

(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025-144 पटना, दिनांक- 5.5.25

प्रतिलिपि-नवनियुक्त कनीय अभियंता (यांत्रिक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे स्तम्भ-8 में उल्लेखित पत्रों, शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आवासीय से संबंधित मूल प्रमाण पत्रों के साथ आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 (दस) दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अपना योगदान पदस्थापित कार्यालयों में समर्पित करें।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 144 पटना, दिनांक- 5.5.25

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 144 पटना, दिनांक- 5.5.25

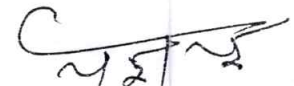
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 144 पटना, दिनांक- 5.5.25

प्रतिलिपि- सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)

ज्ञापांक-2/नि0-1-101/2025 - 144 पटना, दिनांक- 5.5.25

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव का कोषांग/सभी संयुक्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र0को0)/मुख्य अभियंता (उ0बि0/द0बि0/यांत्रिक/रूपांकण)/प्रशाखा-04 (बजट शाखा) एवं लेखा शाखा/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नित्यानन्द प्रसाद)

अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मु0)